न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 178/2017

मायादेवी पत्नी मखनसिंह पुत्र चननसिंह जाति बावरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. दरबारी पुत्र चेतराम उर्फ चेतनराम जाति बावरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. जगतारकौर पुत्री श्यामकौर पत्नी जग्गासिंह पुत्र भागसिंह जाति बावरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. दारासिंह पुत्र भागसिंह
4. जगसीरसिंह पुत्र दारासिंह
5. माणकसिंह पुत्र दारासिंह
6. नक्षत्रसिंह पुत्र दारासिंह

   जाति बावरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. बिटटु पत्नी गुरचरणसिंह जाति बावरी निवासी मोहननगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. पम्मी पत्नी जरनेलसिंह जाति बावरी निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. सोहनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति बावरी निवासी 7 के.आर.डब्लयू खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
10. गुरदेवसिह पुत्र सोहनसिंह नाबालिग जरिये पिता सोहनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति बावरी निवासी 7 के.आर.डब्लयू खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
11. लिछमा पुत्री सोहनसिंह नाबालिग जरिये पिता सोहनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति बावरी निवासी 7 के.आर.डब्लयू खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

1/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर। —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 27.11.2017

उपस्थित—

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी ।

श्री पी.एस. बराड़, अभिभाषक रेस्पो संख्या 1, 2, 4 व 6

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 01.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया/वादिया/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीया की माता शामकौर व अप्रार्थी सं. 1 के नाम ब.हि.ब. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीया की माता शामकौर के नाम एवं मद संख्या 3 में वर्णित भूमि प्रार्थीया की माता व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से ब.हि.ब. राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया की माता के नाम से दर्ज चक 10 एस.डी.एस में दर्ज भूमि में से 8 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये इकरारनामा कर दिया और कब्जा सौंप दिया शेष 7 बीघा भूमि पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हक व हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीया की माता शामकौर के नाम आराजी में से प्रार्थीया का विधिक वारिस होने के नाते हक व हिस्सा बनता है एवं इसी अनुसार बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी है कि वे राजस्व रेकार्ड में आराजी को अपने नाम से दर्ज करवा कर प्रार्थीया को बेदखल कर देगे या हस्तान्तरण कर देगे यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थीया को वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

1/2/18

(राजस्व अपील प्राधिकारी)
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी जाकर अधी. न्यायालय ने दिनांक 27.11.2017 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने अपने आदेश में फाईडिंग दे दी कि बिना विरासतन इन्तकाल दर्ज किये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधी. न्यायालय में अप्रार्थीगण का जबाव पेश नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नहीं मानने का कोई कारण नही था। अधी. न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सही विवेचन किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि प्रार्थीया का हर प्रकार से मामला बनता था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया/अपीलार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था । श्यामकौर की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने मृतक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने का जो आदेश दिया है उसमें किसी प्रकार की अधी. न्यायालय ने भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया है जबकि अपीलांट का विवादित आराजी में हक हिस्सा दर्ज करने का दावा जैरकार है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनतोष चाहा है।

1/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट जिन आधारो पर अपना हक हिस्सा घोषित करवाना चाहती है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अधी. न्यायालय का विवेचन कि विवादित भूमि श्यामकौर के नाम से है तथा उभय पक्ष के कथनानुसार श्यामकौर की मृत्यु काफी अर्से पूर्व हो चुकी थी जिसका अभी विरास्तन नामान्तरणकरण भी दर्ज नहीं हुआ है तथा ना ही प्रार्थीया द्वारा श्यामकौर का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है इस कारण वादाधीन भूमि में से प्रार्थीया का कितना हिस्सा बनता है जो अभी तय नहीं है इस कारण से मृतक की समस्त भूमि पर निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस विवेचन में हस्तक्षेप की गंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर